न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
168 / प्रा.पत्र / 2017	13.04.2017	09.12.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

मूलचंद आ. तुलसीराम जाति कीर निवासी ग्राम सुहरी तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.) (मृतक) कायम मुकाम रामकिशन, सुरजमल आ. मूलचंद, पुष्पा बेवा मूलचंद, बादाम, रतनी पुत्रियां मूलचंद, भागचंद, राजेश पुत्र कैलाश, कमला बेवा कैलाश, पदमा, आशा, ममता पुत्रिया कैलाश।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 15.06.1976 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी मूलचंद आ. तुलसीराम जाति कीर निवासी सुहरी को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 472 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 476 रकबा 05 बीघा, ग्राम सुहरी, तहसील हिण्डोली को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों श्योजी, ग्यारसीराम वगै. का कब्जा काश्त है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण के पिता मूलचंद आ. तुलसीराम को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.06.1976 को पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात् आवंटी को आवंटित भूमि पर कब्जा संभलया गया था। डसके पश्चात् आवंटित भूमि का पट्टा जारी किया गया है। आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। आवंटी की मृत्यु के पश्चात् आवंटी के वारिसान के नाम नामा. स्वीकृत किया गया है। आवंटी को कब्जा संभलाने से लगातार आवंटी का व आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। पटवारी ने झूठी रिपोर्ट अन्य व्यक्तियों से मिलकर तैयार कर तहसीलदार से यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया है। अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त बाबत् कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड प्रार्थी ने पेश नहीं किया गया है। आवंटी के वारिसान द्वारा लगातार फसल बोकर काश्त की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन, तथ्यहीन है। खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी मूलचंद आ. तुलसीराम जाति कीर निवासी सुहरी को ग्राम सुहरी में खसरा नं. 472 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 476 रकबा 05 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया तथा कब्जा संभलाने के पश्चात आवंटी का आवंटित भूमि का बाद जांच पट्टा जारी किया गया। आवंटी आवंटित भूमि पर गैर खातेदार दर्ज है। आवंटी श्री मूलचंद की मृत्यु होने के पश्चात आवंटी के वारिसान के नाम नामा. दर्ज किया गया। प्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है अन्य का कब्जा काश्त है लेकिन प्रार्थी ने अन्य का कब्जा काश्त होने बाबत् मात्र पटवारी रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई राजस्व रेकार्ड दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे आवंटी के अलावा अन्य का कब्जा काश्त साबित होता हो। प्रार्थी ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062–2072 पेश की है। जिसमें भी आवंटी के नाम ही फसल मक्का, गेहूं सरसो दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 15.06.1976 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)